कार्यालयः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल / Email: cf-medininagar@gov.in

दूरभाष /Phone: 06562-224953 Mobile No-8987790232

पत्रांक–

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
पलामू , मेदिनीनगर।

मेदिनीनगर, दिनांकः–

विषयः– मेसर्स नोर्थ कर्णपूरा ट्रान्सको लिमिटेड का 400 KV/DC नोर्थ कर्णपूरा से गया तक ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु लातेहार वन प्रमण्डल में 15.3589 हे0 चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल में 119.8806 हे0 तथा चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल में 61.772 हे0 कुल 197.0115 हे0 वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव मे से लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत 8.5899 हे0 अधिसूचित वन भूमि एवं 6.769 हे0 जंगल झाड़ी भूमि कुल 15.3589 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची एवं आपका ज्ञापांक 2018 दिनांक 06.10.2022 तथा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल का पत्रांक 1918 दिनांक 10.10.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 1918 दिनांक 10.10.2022 द्वारा सूचित किया है कि मेसर्स नोर्थ कर्णपूरा ट्रांन्सको लिमिटेड का 400 KV/DC नोर्थ कर्णपूरा से गया तक ट्रांन्समिशन लाईन निर्माण हेतु लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत 8.5899 हे0 अधिसूचित वन भूमि एवं 6.769 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि कुल 15.3589 हे0 वन भूमि अपयोजन हेतु समर्पित प्रस्ताव में Wildlife Management Plan के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची द्वारा मांगी गयी मंतव्य के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा उल्लेख किया गया है कि विषयक परियोजना से वन्य जीवों पर होने वाले प्रभावों को ध्यान मे रखते हुए वन्यप्राणी प्रबंधन योजना (Wildlife Management Plan) अति आवश्यक है। परियोजना क्षेत्र एवं उसके आस–पास Elephant, Hyena, Jackal इत्यादि वन्य जीव मौजूद है। प्रस्तावित स्थल Elephant, Corridor का हिस्सा नहीं है परन्तु विगत कुछ वर्षो से हाथियों का झुण्ड शिबला पी0एफ0, भाटचतरा पी0एफ0, बेसरा पी0एफ0, कुसमाहा पी0एफ0, रहेया पी0एफ0 एवं चडरा पी0एफ0 में बराबर आते रहते है एवं रूकते है। हाथी और मनुष्य के बीच अक्सर संघर्स होते रहता है। फसलो, घरों और पशुओं को अक्सर नुकसान पहँचाते है। वर्ष 2021–22 में जगंली हाथी के हमले से दो लोगों की जान चली गयी है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वन्य जीव प्रबंधन योजना की आवश्यकता है। इसलिए इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जा सकता है।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा प्राप्त मंतव्य की छायाप्रति इस पत्र से संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रहीं है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0 / –

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक 1228 दिनांक 30.09.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक 850 **दिनांक** 19/10/2022

प्रतिलिपिः– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल को उनके पत्रांक 1918 दिनांक 10.10.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/10/22

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

18/10/22 18/10/22

R.F. 10